

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्राधिकृत अधिकारी वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का सं. 54) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में 'जहां है जैसी है जो है जैसी है' के आधार पर निम्नलिखित संपत्तियों की नीलामी कर रहा है।

अचल संपत्तियों का विवरण

क्र. सं.	देनदारों/शाखा का नाम	सम्पत्ति का विवरण	बकाया राशि(रक्षित ऋण) डिमाण्ड नोटिस तिथि कबजे की दिनांक	अधोक्ष मूल्य रु. धरोहर जमा राशि रु. बिड वृद्धि राशि रु.
1	श्री रतनलाल दरोगा पुत्र श्री माधु दरोगा एवं सहऋणी श्री हरिसिंह पुत्र श्री रतनलाल दरोगा निवासी इन्दिरा कॉलोनी सामुदायिक भवन के पास, बिजयनगर जिला अजमेर। सेन्ट मार्गेज ऋण खाता सं. 3957240115	साम्यिक बंधक भूमि/भवन मौजा तारों का खेड़ा, ग्राम बिजयनगर, खसरा नं. 3993 का भाग, पटवारा हल्का नं., बिजयनगर, क्षेत्रफल 540 वर्गफिट, जिसकी सीमा निम्न प्रकार है- उत्तर: प्लॉट नं. 84, दक्षिण: रोड़, पूर्व: प्लॉट नं. 87, पश्चिम: प्लॉट नं. 85	दिनांक 12.11.2018 13(2) के नोटिस के अनुसार बकाया राशि रुपये 11,46,219/- (रुपये ग्यारह लाख छियास हजार दो सौ उन्नीस मात्र) दिनांक 12.11.2018 + आगे का ब्याज व खर्च अतिरिक्त	रु. 10,49,000/- रु. 1,04,900/- रु. 10,000/-
2	श्रीमती मंजू नागौरा पत्नी श्री दिनेश कुमार वर्मा एवं श्री दिनेश कुमार वर्मा पुत्र श्री सत्यनारायण वर्मा केयर ऑफ श्री रामदेव साहू, निवासी शर्मा कॉलोनी, चौसला बिजयनगर, जिला अजमेर। सेन्ट मार्गेज ऋण खाता सं. 3989626306	श्रीमती मंजू नागौरा पत्नी श्री दिनेश कुमार वर्मा प्लॉट नं. 89, खसरा नं. 3948 एवं 3993 का पश्चिम भाग, नेहरू कॉलोनी, तारों का खेड़ा, चौसला, बिजयनगर, क्षेत्रफल 467.00 वर्गफिट, जिसकी सीमा निम्न प्रकार है- उत्तर: रोड़, दक्षिण: प्लॉट नं. 91 (गजराज खटीक), पूर्व: प्लॉट नं. 89 का पूर्वी भाग, पश्चिम: प्लॉट नं. 90 श्रीमती आशा	दिनांक 21.11.2018 13(2) के नोटिस के अनुसार बकाया राशि रुपये 11,08,486/- (रुपये ग्यारह लाख आठ हजार चार सौ छियासी मात्र) दिनांक 21.11.2018 + आगे का ब्याज व खर्च अतिरिक्त	रु. 9,67,000/- रु. 96,700/- रु. 10,000/-
3	श्री शोकेत मोहम्मद पुत्र श्री सद्दीक मोहम्मद निवासी रेलवे फाटक के बाहर, राजनगर, गुलाबपुरा रोड़, बिजयनगर, जिला अजमेर	साम्यिक बंधक संपत्ति का मालिक श्री शोकेत मोहम्मद पुत्र श्री सद्दीक मोहम्मद, प्लॉट नं. 17 का दक्षिणी भाग, खसरा नं. 4015 का भाग, मीरा कॉलोनी, चौसला, बिजयनगर जिला अजमेर क्षेत्रफल 34x20=680 वर्गफिट जिसकी सीमा निम्न प्रकार है। उत्तर में: इसी संपत्ति का शेष भाग, दक्षिण में: प्लॉट नं. 16, पूर्व में: रोड़ 20 फीट, पश्चिम में: खुली भूमि	दिनांक 30.11.2018 13(2) के नोटिस के अनुसार बकाया राशि रुपये 18,58,327/- (रुपये अठारह लाख अठावन हजार तीन सौ सत्ताईस मात्र) एवं दिनांक 30.11.2018 से ब्याज व खर्च अतिरिक्त	रु. 14,54,000/- रु. 1,45,400/- रु. 10,000/-
4	(1) मै. अमित ब्रिक्स प्रो. श्री रामदेव बैरवा पुत्र श्री गोकल बैरवा पता- रूपपुरा चौराहा, शिवनगर रोड़, कानिया, तहसील हुरड़ा, जिला भीलवाड़ा एवं ऋणी श्री रामदेव बैरवा पुत्र श्री गोकल बैरवा, बैरवा मोहल्ला वार्ड नं. 19, गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा। (2) श्री देवेन्द्र बैरवा पुत्र श्री रामदेव बैरवा, बैरवा मोहल्ला वार्ड नं. 19, गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा, एवं सहऋणी नं. 1 श्री रामदेव बैरवा पुत्र श्री गोकल बैरवा एवं नं. 2 श्रीमती दिव्या बैरवा पत्नी श्री देवेन्द्र बैरवा, बैरवा मोहल्ला वार्ड नं. 19, गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा। सेन्ट मार्गेज ऋण खाता सं. 3963647372 एवं 3963305393	श्री रामदेव बैरवा पुत्र श्री गोकल बैरवा के स्वामित्व में कानिया की औद्योगिक संपत्ति (ईट भट्टा) खसरा नं. 2143/1 ग्राम कानिया, तहसील हुरड़ा, जिला भीलवाड़ा, रकबा 2 बीघा 10 बीस्वा, क्षेत्रफल 3562 वर्गफिट, जिसकी सीमा निम्न प्रकार है- उत्तर: खसरा नं. 2145 एवं 2142, दक्षिण: खसरा नं. 2144, पूर्व: रोड़, पश्चिम: रोड़।	दिनांक 30.11.2018 एवं दिनांक 29.11.2018 13(2) के नोटिस के अनुसार बकाया राशि रुपये 35,99,073/- (रुपये पैंतीस लाख नित्यान्वे हजार तेहत्तर मात्र) दिनांक 30.11.2018 व 29.11.2018 + आगे का ब्याज व खर्च अतिरिक्त	रु. 26,65,000/- रु. 2,66,500/- रु. 20,000/-

ई-नीलामी की नियम व शर्तें 1. नीलामी ऑनलाइन ई-नीलामी प्रक्रिया के जरिये वेबसाइट <https://www.bankeauctions.com> पर होगी। नीलामी की दिनांक एवं समय: 05.11.2019 को दोपहर 12:00 बजे से 02:00 बजे के मध्य (बन्द होने के अंतिम 5 मिनट की स्वतः समाप्ति विद्वांश के साथ) ई-नीलामी 'जहां है जैसी है वहां जो कुछ भी है' के आधार पर होगी। 2. वेब पोर्टल पर बोली तथा कागजी प्रतियां बिजयनगर शाखा में जमा कराने हेतु अंतिम दिनांक 04.11.2019 को सांघ 04:00 बजे तक होगी। 3. नीलामी/बोली प्रक्रिया ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया के जरिये वेबसाइट <https://www.bankeauctions.com> पर होगी। बोलीदाताओं को ई-नीलामी विक्रय प्रक्रिया की विस्तृत शर्तों हेतु वेबसाइट के जरिये जाने की सलाह दी जाती है। 4. इच्छुक बोलीदाता को अपने नाम को पार्सल <https://www.bankeauctions.com> पर पंजीकृत कर तथा निशुल्क यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना चाहिए। संभावित बोलीदाता ई-नीलामी हेतु ऑनलाइन प्रशिक्षण मैसर्स सी 1 इण्डिया प्रा. लि. गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, बिल्डिंग नं. 301, प्रथम तल, उद्योग विहार, फेज-2, गुडगांव, फिनोद चौधान सम्पर्क सं. 09813887931 से प्राप्त कर सकते हैं गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, बिल्डिंग नं. 301, प्रथम तल, उद्योग विहार, फेज-2, गुडगांव हेल्लपानाई नं. +91-1244302020/21/22/23/24, Help Line e-mail ID: support@bankeauctions.com 5. धरोहर राशि RTGS/NEFT/Fund Transfer के जरिये दिनांक 04.11.2019 तक या उससे पूर्व निम्न दिये गये विवरण के अनुसार संबंधित खाते में जमा की जायेगी। 6. बोलीदाता के द्वारा वेबपोर्टल में पंजीकरण के उपरान्त, इच्छुक बोलीदाता/क्रेता को वेबपोर्टल में निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां बोली जमा कराने की अंतिम दिनांक से पूर्व अपलोड करनी आवश्यक है यथा 1. NEFT/RTGS बकाला की प्रति 2. पेन कार्ड की प्रति 3. पहचान का साक्ष्य (KYC) स्वहस्ताक्षरित वॉटर आईडी कार्ड/ ड्राइविंग लाईसेंस/पासपोर्ट/आधार कार्ड इत्यादि की प्रति 4. पते के साक्ष्य की प्रति जिसके बिना बोली निरस्त किये जाने योग्य होगी। 7. धरोहर राशि सफलतापूर्वक/उच्चतम बोलीदाता की दृष्टि में समाविष्टित कर ली जायेगी अन्यथा विक्रय सम्पूर्ण होने के 7 दिवसों के भीतर लौटा दी जायेगी धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। 8. इच्छुक बोलीदाता संपत्तियों का निरीक्षण स्थान पर दिनांक 02.11.2019 को प्रातः 11:00 बजे से सांघ 04:00 बजे के मध्य संबंधित शाखा में कर सकते हैं। 9. नीलामी आरंभिक मूल्य से उपरोक्तानुसार शुरू होगी। बोलीदाता जो उच्चतम बोली (आरंभिक मूल्य से कम नहीं) ऑनलाइन ई-नीलामी बन्द होने तक जमा करायेगा उसे प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन के आधार पर सफलतम बोलीदाता घोषित किया जायेगा। 10. सफलतम बोलीदाता बोलीराशि का 25% (पूर्व में भुगतान की गई धरोहर राशि को शामिल करे हुए) उसके पक्ष में विक्रय होते ही तुरन्त तथा शेष राशि विक्रय पुष्टिकरण के 15 दिवसों के भीतर जमा करवायेगा। यदि सफलतम बोलीदाता उपरोक्तानुसार विक्रय राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा राशि जल कर ली जायेगी। 11. समस्त प्रश्न किसी भी अधिकरण को बकाया, परिवहन, मुद्रांक शाखा तथा पंजीकरण के खर्च इत्यादि जो भी लागू होते हैं सफलतम बोलीदाता द्वारा ही वहन किये जायेंगे। 12. यदि ऋणी बैंक को कुल बकाया राशि का सम्पूर्ण भुगतान नीलामी की दिनांक से पूर्व कर देता है तो संबंधित नीलामी रोक दी जायेगी/निरस्त कर दी जायेगी। 13. बैंक नीलामी की नियम तथा शर्तों में बिना कोई कारण बताये स्थान/रद्द करने का अधिकार आरंभित रहता है। 14. संपत्ति संबंधित जानकारी एवं अन्य विवरण हेतु सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्राधिकृत अधिकारी/शाखा प्रबंधक मो. 8696930607 शाखा ई-मेल bmjaip0438@centralbank.co.in अथवा मैसर्स सी 1 इण्डिया प्रा. लि. गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, बिल्डिंग नं. 301, प्रथम तल, उद्योग विहार, फेज-2, गुडगांव से सम्पर्क कर सकते हैं।

सर्फैसी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत 15 दिवस की वैधानिक विक्रय सूचना

ऋणीयों/जमानतदारों को उपरोक्त वर्णित राशि का नियत तिथि तक ब्याज एवं सहायक खर्चों के साथ ई-नीलामी की दिनांक से पूर्व भुगतान करने हेतु सूचित किया जाता है जिसमें चूक होने पर सम्पत्ति नीलाम/बेच दी जायेगी तथा बकाया राशि यदि कोई है तो ब्याज लागत के साथ वसूल की जायेगी।
दिनांक: 17.10.2019, स्थान: बिजयनगर, अजमेर
प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया